



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP03184271716845V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 05:34 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14742804/ JANSATHI UP-MJF
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1474280401965468537759V
Purchased by	: SUDHIR KUMAR SO PITAM SINGH
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SUDHIR KUMAR SO PITAM SINGH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SUDHIR KUMAR SO PITAM SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



I, Sudhir Kumar Pitam Singh  
 do hereby declare that the above  
 mentioned Mukesh Lal Son Anu Bhanu  
 is the son of P.B.K  
1/9/23  
 Notary Seal:

Deponent  
Sudhir

verified by  
  
 Notary Seal:

(प्रारूप-“अ”)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथपत्र का प्रारूप

हम सुधीर कुमार पुत्र श्री पीतम सिंह (अध्यक्ष) एवं उदयवीर सिंह पुत्र पीतम सिंह (सचिव) निवासी गण ग्राम बेहड़ा सादात तहसील जानसठ जिला मु०नगर क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पीतम सिंह शिक्षा प्रसार समिति बेहड़ा सादात मुजफ्फरनगर शपथपूर्वक ब्यान करते है कि-

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट स्वामी कल्याण देव कॉलेज ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम बेहड़ा सादात में गाटा सं० 1019/2 व 964/1 व 964/2 व 964/4 व 1020/1 एवं 1099 रकबा 0.9660हे० व 0.0170हे० व 0.01710हे० व 0.0590हे० व 0.2790हे० व 0.7190हे० कुल 2.0550हे० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध के गाटा सं० 1019/2 व 964/1 व 964/2 व 964/4 व 1020/1 एवं 1099 रकबा 0.9660हे० व 0.0170हे० व 0.01710हे० व 0.0590हे० व 0.2790हे० व 0.7190हे० कुल 2.0550हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.05.2017 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत

9

9

9

किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बन्ध रथा एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुराज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाॅफ की तैनाती सोसायटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शारान / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो / आदेशो का भली भाँति पालन करुंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में नामकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वय उत्तरदायी होऊंगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

1/9/23